

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



CU 042561

(प्रारूप-“अ”)

प्रस्तावित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों की सांसाइटी/ट्रस्ट के नाम और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

1. श्री रामिंदर चौहान (अध्यक्ष) एवं उदयमन चौहान (सचिव) प्रभार अध्यक्ष एवं सचिव जनहित ट्रस्ट, ग्राम-बड़हरा, पोस्ट-तुरना, तह-सैदपुर, जिला-गाजीपुर (UP) शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

2. यह कि हमारी जनहित ट्रस्ट, ग्राम-बड़हरा, पोस्ट-तुरना, तह-सैदपुर, जिला-गाजीपुर द्वारा सशु फौजदार सिंह चौहान शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान फार्मेसी, महमूदपुर माली, ऐदकाली-गाजीपुर नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र-2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

3. यह कि हमारी जनहित ट्रस्ट, ग्राम-बड़हरा, पोस्ट-तुरना, तह-सैदपुर, जिला-गाजीपुर में गाटा संख्या- 519 सम्पूर्ण रकबा 0.2369880 मुमि है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाड किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

5. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा गाटा संख्या- 519 सम्पूर्ण रकबा 0.2369880 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 11.07.2022 द्वारा पारित किया गया है।

6. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रान्तगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।

7. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

8. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के सिफ्टी को अनुमोदित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

9. यह कि इन भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नईदिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिष्ट परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



CU 042562

मैं/मैंने यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूट रचित अथवा कुछ पूर्ण भाग में छिपे हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही होने में स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

- यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक बलाश, कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वित्तिक एवं अवीतित स्टॉक की उनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
- यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मसूदा भांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूट रचित अथवा कुछ पूर्ण भाग में छिपे हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही होने में स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



(Signature)
80 अक्षरा